

ARBIT



All About Trumptropy

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरु

Rashtradoot

Voices from the Ancient Workplace

Cabbages Over Dictatorship

The Roman farmer who chose duty over power

अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं को चौंका दिया अपनी “चाँयस” से

उन्होंने रिलायंस औद्योगिक समूह के ग्रुप प्रैसिडेंट, धनराज परिमल नाथवानी को अपनी पार्टी की ओर से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया

- श्रीनंद झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 30 सितंबर। पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पर्यवेक्षकों को चौंकाते हुए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप प्रैसिडेंट और अंबानी परिवार के करीबी विश्वासपात्र धनराज परिमल नाथवानी को उत्तर प्रदेश से पार्टी का दूसरा राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता, अखिलेश के चाचा और पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव भी उम्मीदवार हैं। अखिलेश की मौजूदगी में लखनऊ में दाखिल किया गया यह नामांकन समाजवादी पार्टी के पारंपरिक तौर तरीकों (पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनने) से हटकर, एक सोचा-समझा परिवर्तन है और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कॉरपोरेट जगत से जुड़ने की एक रणनीतिक कोशिश है।

पिछले एक दशक में अलग-

- इसे, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनावों के प्रसंग में अखिलेश यादव के कॉरपोरेट वर्ल्ड के नज़दीक जाने के प्रयास का सबूत माना जा रहा है, क्योंकि गत दशक में कई पार्टियों ने कॉरपोरेट वर्ल्ड के कई “सितारों” को राज्यसभा भेजा है, जैसे विजय माल्या, सुभाष चन्द्रा, वीडियोकॉन के राजकुमार धूत, अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल युनिवर्सिटी के कर्ताधर्ता।
- पर, आज के चुनावी माहौल में अखिलेश की इस अजीबोगरीब “चाँयस” की राहुल गांधी की रीति-नीति से टकराहट होने की संभावना भी बनती है। पर, क्योंकि यूपी के संदर्भ में अखिलेश, सीनियर पार्टनर हैं, सपा-कांग्रेस गठबंधन में, अतः अखिलेश, राहुल की नाराज़गी के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हैं।

अलग विचारधारा वाली पार्टियों ने कई बड़े कारोबारी लोगों को उच्च सदन, यानी राज्यसभा में भेजा है। इनमें कर्नाटक से जनता दल (सेक्युलर) और विभिन्न दलों के समर्थन से चुने गए शराब कारोबारी विजय माल्या, भारतीय

यूनिवर्सिटी) और राजिंदर गुप्ता, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े उद्योगपति प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी और सी. एम. रमेश, तथा रिलायंस से जुड़े कई नाम शामिल हैं। इनमें नाथवानी के पिता परिमल नाथवानी भी शामिल हैं, जो चार बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और हाल में झारखंड से एन डी ए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा पहुंचे थे।

मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह ने कभी बॉलीवुड और बड़े कारोबारी घरानों के साथ गहरे संबंध बनाए थे। वे अंबानी, बिरला और बच्चन परिवारों की मेजबानी करते थे, फिल्मी सितारों को पार्टी में शामिल करते थे और “उत्तर प्रदेश विकास परिषद” जैसे मंच बनाते थे। उनके दौर के बाद, वे सम्बन्ध कमजोर पड़ गए। अब लंदन में पढ़े-लिखे 40 वर्षीय नाथवानी को आगे बढ़ाकर, अखिलेश सोच-समझकर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले नन्हें खान को आजीवन कारावास

जयपुर, 30 सितंबर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम- 9 महानगर द्वितीय ने आपसी कहासुनी में कुल्हाड़ी से वार कर बुजुर्ग की हत्या करने वाले अभियुक्त नन्हें खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने तीन अन्य, सलमान, रहमान

- अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने तीन अन्य को संदेह का लाभ देकर बरी किया

और तोफौक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुरेश कुमावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतक रमजानी के बेटे आबिद ने 12 अगस्त, 2022 को भट्ठा बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सुबह करीब नौ बजे उसके पिता दुकान जाने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में नन्हें खान सहित, अन्य लोगों ने उन्हें घेरकर हमला बोल दिया और उसके पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से गंभीर चोट मारी। पिता के चिल्लाने पर वह अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। आखिर में पिता को गंभीर अवस्था में अस्पताल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘2024 में नीतीश कुमार को गठबंधन छोड़कर नहीं जाने देना चाहिए था’

दिग्विजय सिंह की इस टिप्पणी पर, सोनिया गांधी ने एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री को घुड़की पिलायी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 सितम्बर। मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी डब्ल्यू सी) की बैठक में जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पार्टी की रणनीति पर चर्चा हो रही थी, तभी एक सदस्य ने एक पूर्व सहयोगी का जिक्र किया, जिस पर पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन को जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 में गठबंधन से जाने नहीं देना चाहिए था।

बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार, सिंह ने कहा, “राजनीतिक हालात कुछ और होते।”

लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कहीं गई सिंह की इस बात को सोनिया गांधी ने तुरंत खारिज कर दिया। सूत्रों के

- सोनिया गांधी ने तीखे शब्दों में कहा, “नीतीश ने जाने का मन बना लिया था, इंडिया गठबंधन छोड़ने का। अतः अच्छा हुआ कि चले गए, जहाँ वे जाना चाहते थे। वे कई दिनों से जाने का रास्ता ढूँढ़ रहे थे।”

■ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी तरफ से जोड़ा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना चाहते थे और उनकी यह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ा। यह केवल एक “नोटकी” ही थी।

- खड़गे ने इस प्रसंग में यह भी कहा, नीतीश कुमार ने उनसे यह भी कहा था कि वे प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहते हैं तथा इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन करेंगे।

अनुसार, सोनिया गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार का जाना तो तय ही था। सोनिया गांधी ने बैठक में कहा, “वे इंडिया गठबंधन में बने रहना नहीं चाहते थे। उनका उस समय चले जाना ही बेहतर था। वे उसी दिशा में जा रहे थे, वे

इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के रास्ते लगातार तलाश रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोनिया गांधी की बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि हालांकि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘आपके अधीन चल रही जाँचों को क्यों न सीबीआई को सौंप दिया जाए?’

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के कामकाज पर तीखी व्यंग्तात्मक टिप्पणी की

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के जाँच करने के तरीके पर कड़ी नाराज़गी जताई। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पुलिस इसी तरह काम करती रही, तो शायद उत्तर प्रदेश की सभी जाँच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए।

अदालत ने कहा, “आपकी ही चीज़ में अपना कोई न कोई एजेंडा होता है। अगर आप इसी तरह मामलों को आगे बढ़ाएँगे, तो लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे? बेहतर होगा कि उत्तर प्रदेश

- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, आँख बंद करके आदेश मानना एक बात है, पर उल्टा लटक कर गलत आदेश की पालना करना दूसरी बात है। पर, सही-गलत काम पर लीपापोती तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

पुलिस की सभी जाँच सीबीआई को सौंप दी जाए।”

अदालत ने यह भी कहा, “हम उत्तर प्रदेश पुलिस को भंग भी कर सकते हैं। यह नॉनसेंस कहीं तो रूकनी चाहिए।”

मामला एक ऐसी जाँच से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ “अज्ञात” व्यक्ति के तौर पर एफआईआर दर्ज की थी, जबकि

‘बिड़ला मंदिर के पीछे की कॉलोनियों की सफाई व्यवस्था बताएं’

जयपुर, 30 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर नगर निगम के आयुक्त को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि अदालती आदेश की पालना में बिरला मंदिर के

- हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर राज्य सरकार व जयपुर नगर निगम आयुक्त से शपथ पत्र मांगा।

पोछे स्थित कॉलोनियों में सफाई को लेकर क्या कार्रवाई की गई। सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता विमल चौधरी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ब्याज सहित राशि या कब्जा, केवल आवंटी ही तय कर सकता है कि बिल्डर कैसे करेगा भरपाई’

रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल ने आदेश सुनाते हुए रेरा के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि बिल्डर आवंटियों को उनके द्वारा चुकाई गई रकम व ब्याज लौटा दे

-यादवेंद्र शर्मा-
जयपुर, 30 सितम्बर। राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए हैं कि जब बिल्डर आवंटियों को प्रोजेक्ट की डेडलाइन तक कब्जा सौंपने में फेल रहता है तो आवंटी को अधिकार है कि वह यह तय करे कि उसे, चुकाया गया पैसा ब्याज समेत वापस चाहिए या फिर पंजेशन लेना है। इसके साथ ही रेरा अपीलीय अर्थॉरिटी ने रेरा के द्वारा दिए गए आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें रेरा ने आदेश पारित किए थे कि डेडलाइन मिस होने की वजह से बिल्डर, आवंटी को निवेश की गई पूरी राशि ब्याज के साथ लौटा दे। यह आदेश चेयरपर्सन जस्टिस मदन गोपाल व्यास तथा युधिष्ठिर शर्मा की अदालत ने मंजूर

- कमालिका डवलपर्स का प्रोजेक्ट “जैनेसिस बाज़ार” मार्च 2022 में पूर्ण होना था, लेकिन आवंटियों को पंजेशन नहीं मिला तो रेरा ने बिल्डर को ब्याज सहित मूल राशि लौटाने के आदेश सुनाए थे।

- रेरा के इस आदेश को अपीलीय ट्रिब्यूनल में चुनौती देते हुए आवंटियों ने मांग रखी कि, उन्हें बिल्डर को दी गई मूल राशि व ब्याज दिलाने के बजाय पंजेशन चाहिए।

सिंघल व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता दीपेन्द्र यादव ने पौरवी की।

मामले के तथ्यों के अनुसार, मृदुल सिंघल, शिवदत्त गुप्ता, रवि कुमार खंडेलवाल व पूजा शर्मा ने बिल्डर

कमालिका डवलपर्स के प्रोजेक्ट “जैनेसिस बाजार” में क्रमशः 85 लाख, 19.64 लाख, 20.72 लाख व 12.88 लाख रुपए चुकाकर जानाई खरीदी थी। इस प्रोजेक्ट को 28 मार्च 2021 तक बिल्डर को पूर्ण करना था, बाद में उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त समय

सीमा दी गई थी। परंतु इस तारीख तक भी बिल्डर निर्माण कार्य पूर्ण करके कब्जा नहीं सौंप पाया, जिसके कारण यह प्रोजेक्ट रेरा के पोर्टल पर “लैप्स” हो गया था। रेरा ने बिल्डर को नोटिस भी दिए, लेकिन बिल्डर ने प्रोजेक्ट की देरी के लिए कई कारण बताए। इस पर रेरा ने 11 फरवरी 2025 को आदेश पारित किया कि बिल्डर इन चारों आवंटियों को 9.10 प्रतिशत की ब्याज राशि के साथ मूल रकम लौटाए। अगर समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो 2 प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त देना पड़ेगा। रेरा ने इस आदेश की पालना 45 दिन में करने के लिए कहा था। इस पर अपीलार्थियों ने रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल में याचिका (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अरब सागर में 3000 करोड़ रु. की ड्रग्स पकड़ी गई

नई दिल्ली, 30 सितंबर। अरब सागर में लक्षद्वीप के पास भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) और गुजरात एटीएस ने संयुक्त अभियान में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया है। कार्रवाही के दौरान, संदिग्ध ईरानी नाव से करीब 526 किलोग्राम हेरोइन

- पकड़ी गई ईरानी नाव में सवार पांच पाकिस्तानी नागरिक भी गिरफ्तार।

और मेथामफेटामाइन बरामद की गई। जब्त ड्रग्स की अनुमानित बाजार कीमत 3,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। नाव पर सवार पांच पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है।

भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार, गुजरात एटीएस और केन्द्रीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर खुफिया जानकारी पर किए गए संयुक्त अभियान में भारतीय तटरक्षक बल की यूनिट्स ने लक्षद्वीप के पश्चिम में अरब सागर में एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)